

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥
 :: दिनांक 24.04.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की
 बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 24.04.2026 को महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये:-

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 2. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (गुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सत्यपाल जांगिड़, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। | सदस्य |

बैठक में राज्य की कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदियों के प्राप्त 79 एवं पूर्व में अग्रेषित 04 प्रकरणों का मुख्यालय कारागार स्तर पर परीक्षण कर समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन 83 प्राप्त प्रकरणों का समिति स्तर से परीक्षण किया जाकर गुण-अवगुण के आधार पर इन पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियम-4 (ख)(ग) के तहत निम्नांकित बंदियों को पात्र पाये जाने पर समिति द्वारा इन बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

(अ) सामान्य स्वीकृत प्रकरण

| क्र.सं. | बंदी का नाम मय वल्दियत | वर्तमान कारागृह | टिप्पणी |
|---------|---------------------------------|-----------------|---|
| 1. | राजूराम पुत्र अर्जुनराम | के.का.बीकानेर | - |
| 2. | सुरेश उर्फ सूरजमल पुत्र रकमा | के.का.अलवर | प्रतिबंधित धारा 392 आई.पी.सी. की जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर |
| 3. | धर्मेन्द्र सिंह पुत्र फुमण सिंह | के.का.बीकानेर | - |

1

(Handwritten signatures and initials)

| | | | |
|-----|--|-------------------------|--|
| 4. | सुखवीर सिंह उर्फ उर्फ महतों पुत्र सन्दुरा सिंह | के.का.बीकानेर | - |
| 5. | अजयदीप सिंह उर्फ मोटी पुत्र सुखपाल सिंह | के.का.बीकानेर | - |
| 6. | अजरूद्दीन उर्फ कूका पुत्र भोमा | के.का.अजमेर | - |
| 7. | तीरथराज नागर पुत्र मेघराज | के.का.कोटा | - |
| 8. | राजेश कुमार उर्फ पौलीया पुत्र रामचन्द्र | वि.के.का.श्यालावास दौसा | - |
| 9. | सुरज उर्फ मदन पुत्र श्रवणलाल | के.का.बीकानेर | - |
| 10. | मंगलसिंह पुत्र बहादुरसिंह | के.का. जोधपुर | - |
| 11. | राकेश पुत्र शंकरलाल | के.का.अजमेर | - |
| 12. | सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह | के.का.बीकानेर | - |
| 13. | दिनेश कुमार पुत्र रतनाराम उर्फ गलबाराम | के.का.जोधपुर | - |
| 14. | नवीन वैष्णव पुत्र रामस्वरूप | के.का.कोटा | - |
| 15. | आसिफ कुरैशी पुत्र अजमेरी | के.का.अलवर | - |
| 16. | अशोक पुत्र भारमल | के.का.अजमेर | - |
| 17. | बिलालदीन पुत्र अब्दुल रहमान | के.का.अलवर | - |
| 18. | सकिर अली पुत्र अब्दुल रहमान | के.का.अलवर | - |
| 19. | भगवान सहाय उर्फ कल्लू पुत्र पन्नलाल | के.का.अलवर | - |
| 20. | फिरोज काठात पुत्र मुराद काठात | के.का.अजमेर | - |
| 21. | मुकर्रम उर्फ छज्जू पुत्र सिराज खान | के.का.भरतपुर | - |
| 22. | अजीज खां उर्फ लालू खां पुत्र अली खां | वि.के.का.श्यालावास दौसा | - |
| 23. | सुरेश कुमार उर्फ पकोडिया पुत्र जगमाल | के.का. जोधपुर | - |
| 24. | हाशिम उर्फ अब्दुल हासिफ पुत्र सिराज खान | के.कारा. भरतपुर | - |
| 25. | मुकेश कुमार पुत्र कैलाशचन्द्र | के.का.अजमेर | परिजनों द्वारा बंदी के भरण- पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर |

(ब) ऐसे बंदी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक, अविवाहित होने एवं अन्य राज्य के है, वे राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के

2

नियम-3 (क)(ज)(ड) के तहत Ordinarily (साधारणतया) खुले शिविर में भेजे जाने के पात्र नहीं होंगे, का प्रावधान है। इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर द्वारा एस.बी./ डी.बी. रिट पिटिशन संख्या 1180/2010 काशीराम बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2010, 8587/2011 गीता देवी बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011, 19884/2012 सोनू उर्फ रघुवेन्द्र बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2013, 2501/2013 राणा उर्फ बिट्टू उर्फ रवि बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2013, 2883/2013 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2013 एवं 2167/2024 हंसराज पुत्र कल्याण, घनश्याम पुत्र हंसराज बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2025 की पालना में इन दण्डित बंदियों/याचिकाकर्ताओं को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाला हुआ है।

अतः माननीय न्यायालय के उक्त आदेशों के क्रम में एक प्रकार के प्रकरण में एकरूपता बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुये समिति द्वारा निम्नांकित बंदियों को कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने का निर्णय लिया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

| क्र.सं. | बंदी का नाम मय वल्दियत | वर्तमान कारागृह | टिप्पणी |
|---------|------------------------------------|-------------------------|--|
| 1. | ओमगिरी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र रतनाराम | के.का. जोधपुर | परिजनों द्वारा बंदी के भरण- पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर |
| 2. | जयवीर पुत्र शिशपाल | वि.के.का.श्यालावास दौसा | - |
| 3. | रामसिंह पुत्र भंवरसिंह | के.का.उदयपुर | - |
| 4. | राजु भील पुत्र देवचन्द भील | के.का.उदयपुर | - |
| 5. | उत्तमचन्द बोहरा पुत्र चांदमल | के.का. जोधपुर | परिजनों द्वारा बंदी के भरण-पोषण व देखभाल का शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर |
| 6. | केदार उर्फ ठेकेदार पुत्र फेरन सिंह | जि.का.धौलपुर | प्रतिबंधित धारा 332 आई.पी.सी. की जुर्माना राशि जमा कराने की शर्त पर |

2. अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण:-

(अ) प्रतिबंधित धारा 376/377/पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दण्डित होने से:-
राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(घ) के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

fy

ka

Q

| क्र.सं. | बंदी नाम | वर्तमान कारागृह | निर्णय का कारण |
|---------|--|--------------------------------|---|
| 1. | महेश चन्द गुर्जर पुत्र खडकाराम | के.का.अलवर | प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल तक) से दण्डित। |
| 2. | योगेश पुत्र महावीर | के.का.अलवर | धारा 5/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 3. | रणजीत सिंह पुत्र गुरदीप सिंह | वि.के.का. श्यालावास दौसा | धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 4. | कैलाश पुत्र नंदा | के.का.अजमेर | प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 5. | जयन्ति पुत्र पुना पारगी | के.का.उदयपुर | प्रतिबंधित धारा 376(3) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 6. | रतनलाल पुत्र लल्लुराम | के.का. जोधपुर | धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 7. | दीपक कुमार पुत्र ओंकारमल | वि.के.का. श्यालावास दौसा | धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 8. | नेमीचन्द पुत्र श्रीयालाल | वि.के.का. श्यालावास दौसा | प्रतिबंधित धारा 376(2)(एल) आई. पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित। |
| 9. | नारायण पुत्र सुरजमल | के.का.अजमेर | प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 10. | लोकेश उर्फ लूला पुत्र वीरीसिंह | के.का. श्रीगंगानगर | प्रतिबंधित धारा 376एबी आई.पी.सी. में आजीवन कारावास से दण्डित। |
| 11. | आकाश पुत्र कन्हैयालाल सहरिया | के.का.कोटा | धारा 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 12. | भुपेन्द्र सिंह उर्फ बिट्टू पुत्र गोकूल उर्फ राजेन्द्र | वि.के.का. श्यालावास दौसा | धारा 3/4(2) पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 13. | शिव पुत्र गंगा | के.का.अलवर | धारा 5एम/6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 14. | विष्णु कुमार पुत्र बिजेन्द्र सिंह उर्फ कामां | के.का.अलवर | धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 15. | कमलेश पुत्र नैनसिंह | के.का.अलवर | प्रतिबंधित धारा 376(3) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |

| | | | |
|-----|---|--------------------------------|--|
| 16. | साबूसिंह उर्फ डूंगरसिंह पुत्र देवीसिंह | वि.के.का. श्यालावास दौसा | प्रतिबंधित धारा 376(3) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 17. | जसकरण सिंह उर्फ सोनू पुत्र मंगल सिंह | के.का. श्रीगंगानगर | प्रतिबंधित धारा 376(3) आई.पी.सी. में 20 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 18. | कालू उर्फ महेन्द्र पुत्र गोपी उस्ताद नायक | के.का.कोटा | धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 14 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 19. | चेतन पुत्र रामेश्वर जाति जाट | के.का.अजमेर | प्रतिबंधित धारा 376डी आई.पी.सी. में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 20. | फतुराम उर्फ फतेहसिंह पुत्र नत्थूराम | के.का.बीकानेर | धारा 9एम/10 पोक्सो एक्ट में 06 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 21. | भंवरलाल पुत्र सवाईराम | के.का.उदयपुर | धारा 9(ढ)/10,3(सी)/4,7/8 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 22. | परमा उर्फ गोलू पुत्र हरबक्श | के.का.बीकानेर | धारा 9(एम)/10 पोक्सो एक्ट में 05 . वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 23. | शेखर एडवर्ड ब्रुनो रोजरियो पुत्र सवोस्टिन रोजरियो | के.का.जयपुर | धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 24. | बब्बू उर्फ ईश्वर सिंह पुत्र पर्वत सिंह | के.कारा.कोटा | धारा 7/8 पोक्सो एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |

(ब) राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3(ग)(घ)(च)(छ) के प्रावधानों के अंतर्गत जो अन्य प्रतिबंधित धारा, जेल दण्ड/फरारी/कदाचार(02 वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं), 02 से अधिक प्रकरणों में दण्डित, अन्य विचाराधीन प्रकरण (जमानत नहीं) एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट में दण्डित होने आदि कारणों से प्रकरणों पर विचार कर साधारणतया व नियम 4(क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने से तथा एनडीपीएस एक्ट में दण्डित होने के कारण निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया:-

| क्र. सं. | बंदी का नाम वल्दियत | वर्तमान कारागृह | निर्णय का कारण |
|----------|-----------------------------|---------------------|---|
| 1. | अमीन खां पुत्र मुनीर खां | जि.का. हनुमानगढ़ | बं.खु.शि. मक्कासर, हनुमानगढ़ पर दिनांक 26.09.2025 को बंदी द्वारा कार्य नहीं करने व व्यवहार सही नहीं होने पर व अन्य बंदियों से झगड़ा करने पर दिनांक 26.09.2025 को जेल दाखिल किये जाने पर। |

5

| | | | |
|----|--|-----------------------|--|
| 2. | रोशन उर्फ रोशनिया उर्फ रोशनलाल पुत्र सुरजिया | के.का.अजमेर | बंदी प्रतिबंधित धारा में 02 प्रकरण में दण्डित। 01 प्रकरण की सजा भुगत ली है एवं दूसरे प्रकरण की सजा भुगत रहा है। प्रतिबंधित धारा 394/34 आई.पी.सी. में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं जिला कारागृह चित्तौड़गढ़ की तहरीर अनुसार बंदी अन्य प्रकरण में उप कारागृह गंगापुर, जि.का.भीलवाड़ा/ चित्तौड़गढ़ पर वांछित है। |
| 3. | रमेश पुत्र कीका | के.का.बीकानेर | खुला बंदी शिविर बेलासर, बीकानेर से दिनांक 17.07.2024 से 17.12.2025 तक फरार रहा तथा 01 अन्य प्रकरण विचाराधीन |
| 4. | पदिया पुत्र राजिया | के.का.उदयपुर | 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित एवं दिनांक 19.06.2018 से 09.02.2026 तक पैरोल से फरारशुदा तथा 01 अन्य प्रकरण (फरारी प्रकरण) विचाराधीन। |
| 5. | ओमाराम पुत्र उकाराम | के.का. जोधपुर | प्रतिबंधित धारा 460, 392 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 6. | हारूण पुत्र निजामुदीन | के.का. श्रीगंगानगर | प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं प्रतिबंधित धारा 396 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित। |
| 7. | नाजिम उर्फ नाजिद उर्फ नाजिर पुत्र हारून उर्फ हामिद | के.का. श्रीगंगानगर | प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं प्रतिबंधित धारा 396 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित। |
| 8. | नाजिम पुत्र हामिद | के.का. श्रीगंगानगर | प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं प्रतिबंधित धारा 396 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित। |
| 9. | नदीम पुत्र मोहम्मद इकराम | के.का. श्रीगंगानगर | प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं प्रतिबंधित धारा 396 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (न्यायिक अभिरक्षा) जमानत नहीं। |

| | | | |
|-----|---|--------------------------|--|
| 10. | अजमल शाह पुत्र नासिर | के.का. श्रीगंगानगर | प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं प्रतिबंधित धारा 396 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण में जेसी वारण्ट में विचाराधीन। |
| 11. | आरिफ पुत्र वकार | के.का. श्रीगंगानगर | प्रतिबंधित धारा 395 आईपीसी में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं प्रतिबंधित धारा 396 आईपीसी में आजीवन कारावास से दण्डित। |
| 12. | भूरसिंह उर्फ बीएस उर्फ गोलू पुत्र रोहिताश | वि.के.का. श्यालावास दौसा | 01 अन्य जे.सी. वारण्ट धारा 42 प्रिजन्स 61(2) बीएनएस एक्ट से वांछित है। |
| 13. | विकास कुमार पुत्र धर्मवीर | के.का.जोधपुर | प्रतिबंधित धारा 397 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं दिनांक 06.03.2025 को अन्य बंदियों के साथ मिलकर स्थानीय पेशी से लौट रहे अन्य बंदियों पर अचानक हमला कर उसके साथ मारपीट करने पर बंदी को 04 दिवस अर्जित परिहार जब्त कर दिनांक 06.03.2025 को जेल दण्ड से दण्डित करने के कारण। |
| 14. | संगम सिंह उर्फ संदीप सिंह राणा पुत्र सूरज सिंह राणा | के.का.कोटा | धारा 8/15, 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 15 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 15. | दिनेश खटीक पुत्र शिवराज जाति खटीक | के.का.अजमेर | धारा 8/15सी एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित |
| 16. | विनोद पुत्र जयराम धाकड़ | के.का.जोधपुर | 01 अन्य प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में विचाराधीन एवं धारा 8/15सी एन.डी.पी.एस.एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 17. | हेमराज पुत्र किशनलाल | के.का.अजमेर | धारा 8/15सी एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 18. | टिंकू माली पुत्र रामचन्द्र माली | वि.के.का. श्यालावास दौसा | धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 19. | गणेशराम पुत्र तगाराम | के.का.जोधपुर | धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 12 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |

7

7

7

7

| | | | |
|-----|---|-----------------------|---|
| 20. | रिंकू उर्फ अमित पुत्र श्यामस्वरूप | के.का.भरतपुर | बं.खु.शि. पक्कासारणा, हनुमानगढ़ से दिनांक 21.07.2025 से 25.09.2025 तक फरार एवं 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत नहीं)। |
| 21. | श्याम सिंह पुत्र मदनसिंह | के.का.बीकानेर | धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 10 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित। |
| 22. | कैलाशी पुत्र विजेन्द्र | के.का.भरतपुर | प्रतिबंधित धारा 392/34 आईपीसी में 07 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 05 अन्य प्रकरणों में विचाराधीन (जमानत नहीं)। |
| 23. | अर्जुनसिंह पुत्र राणसिंह | के.का.जोधपुर | 06 अन्य प्रकरणों में वांछित है जिनमें 04 विचाराधीन प्रकरण में जमानत नहीं। |
| 24. | माणका उर्फ माणक सिंह पुत्र दारा सिंह | के.का. श्रीगंगानगर | 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (न्यायिक अभिरक्षा वारण्ट) एवं दिनांक 03.12.2025 को तलाशी में बंदी के बैग में 276 गोलियां प्राप्त हुई जो नशे में प्रयोग की जाती है, के कारण 07 दिवस एसटीडी एवं मुलाकात व्यवस्था से पृथक किये जाने के जेल दण्ड से दण्डित करने के कारण। |
| 25. | दिनेश पुत्र जयराम धाकड | के.का.उदयपुर | धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट में 05 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित एवं 01 अन्य प्रकरण एनडीपीएस एक्ट में विचाराधीन। |
| 26. | गिरिश उर्फ गोपाल पुत्र हंसराज | के.का.कोटा | प्रतिबंधित धारा 392 आई.पी.सी. में 05 वर्ष कठोर कारावास व 01 अन्य प्रकरण में प्रतिबंधित धारा 392 आई.पी.सी. में 03 वर्ष कठोर कारावास अर्थात् 08 वर्ष कठोर कारावास से दण्डित है, जो वर्तमान में संयुक्त मूल सजा भुगते जाने के कारण। |

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


[Handwritten signature]
8


[Handwritten mark]


[Handwritten mark]


3. अग्रेषित प्रकरण का विवरण:-


| क्र.सं. | बंदी का नाम वल्दियत | वर्तमान कारागृह | निर्णय का कारण |
|---------|---|--------------------------------|--|
| 1. | मुस्ताक उर्फ आरिफ पुत्र मजीद उर्फ अख्तर अली | वि.के.का. श्यालावास दौसा | पुलिस थाना पापड़दा के द्वारा अन्य प्रकरण में वास्ते अनुसंधान हेतु गिरफ्तार करके दिनांक 21.02.2026 को जेसी वारण्ट सहित जेल दाखिल करवाया गया। उक्त प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा के आदेश दिनांक 28.03.2026 को रिहा किया गया। उक्त आदेश दिनांक 28.03.2026 की प्रति एवं बंदी के विरुद्ध दर्ज अन्य प्रकरण में एफ.आई.आर. की प्रति एवं वर्तमान स्थिति (जमानत सहित) अधीक्षक, विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह श्यालावास के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |
| 2. | राजेन्द्र गुर्जर उर्फ राजु पुत्र मनोहरलाल गुर्जर | के.का.बीकानेर | बंदी के मानसिक रोगी होने का चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर से प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। |


(अशोक राठौड़)
अध्यक्ष
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर


(विक्रम सिंह)
सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान,
जयपुर


(एल.ओर.मीणा)
सदस्य
शासन उप
सचिव, गृह
(गुप-12)
विभाग,
राजस्थान, जयपुर


(सत्यपाल जांगिड़)
सदस्य
मुख्य परिवीक्षा
अधिकारी
सामाजिक न्याय
एवं अधिकारिता
विभाग, राजस्थान,
जयपुर


(जगमोहन मित्रुका)
सदस्य
उप विधि
परामर्शी,
महानिदेशालय
कारागार
राजस्थान, जयपुर